बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

संवेदक M/S Fortune Group, Director's Name- Tapas Kumar Pathy, Plot No-M62, Samanta Vihar, Chandrashekharpur, Bhubaneshwar, Khordha, Odisha-751017 मोबाईलनं०–7381271000 (निबंधन संख्या 1250044 दिनांक–29.07.2025, PAN no. AACFF2988G) को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) के ज्ञापांक–6827 (ई०) दिनांक–07.10.2025 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क)(vii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 की उपकंडिका–4 के आलोक में दस वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

2. संवदेक द्वारा उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली की कंडिका–11(घ) के अधीन अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया गया है। अपील की सुनवाई दिनांक–29.10.2025 को विभागीय पदाधिकारियों एवं संवेदक की उपस्थिति में की गई।

3. उल्लेखनीय है कि पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अंतर्गत "Widening & Strengthening of Gaya to Koilwa More via Paraiya, Guraru Km 0.00 to 27.438 (Total length - 27.438 Km) from Intermediate lane to double lane with paved shoulder for the year 2024-25" की निविदा में गलत सूचना अपलोड कर निविदा की अर्हत्ता प्राप्त करने के प्रयास के आलोक मेंसंवेदक से विभागीय पत्रांक–6014 (ई०) दिनांक–04.09.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। यह कार्रवाई दिनांक–12.08.2025 को विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में की गई। समिति के निर्णय की कंडिका–5.4 में अंकित है कि असफल निविदाकार M/S Fortune Group के द्वारा गलत सूचना अपलोड कर निविदा की अर्हत्ता प्रस्तुत करने के प्रयास के आलोक में SBD के ITB Cl-4.8 (Misleading & False Representation) के तहत पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना–5737(एस) दिनांक–07.05.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई किया जाय।

4. उपर्युक्त विभागीय निर्णय के आलोक में संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–11.09.2025 को समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि Bid Already Submitted में गलत सूचना एक मानवीय भूल है एवं इस गलती के लिए उन्हें क्षमा प्रदान की जाय। संवदेक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उन्हें बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क)(vii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 के उपकंडिका–4 के आलोक में विभागीय पत्रांक –6827(E) दिनांक– 07.10.2025 द्वारा दस वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया।

5. संसूचित दंड के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। संवेदक के अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु विभागीय पत्रांक– 7280(E) दिनांक–22.10.2025

द्वारा दिनांक–29.10.2025 की तिथि निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को संवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तथा अपनी भूल को स्वीकार किया। संवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रथम बार भूल के लिए उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने का आदेश उनके द्वारा किये गये भूल के अनुपात में अत्यधिक है, अतः उनके निबंधन को कालीकृत करने के आदेश को वापस लेने की कृपा की जाय।

6. निविदा में Bid Already Submitted को छिपाने के कारण संवेदक को SBD की धारा 4.8 के अन्तर्गत निविदा से बाहर कर दिया गया। इसी कृत्य के लिये उनके निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत संवेदक को दस वर्षो के लिए कालीकृत किया गया। यह आदेश कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 की उपकंडिका–4 के आलोक में की गई है। यह कार्यालय आदेश ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 से अलग है एवं यह नियमावली का भाग नहीं है।

7. संचिका को देखने से यह ज्ञात होता है कि संवेदक के द्वारा यह कृत्य पूर्व में नहीं किया गया है। संवेदक के द्वारा विभाग में निबंधन दिनांक–29.07.2025 को कराया गया है एवं उन्हें विभाग में कोई भी कार्य आवंटित नहीं हुआ है।

8. विभागीय निविदा समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत कार्रवाई किया जाय। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि संवेदक के निबंधन को नियमावली में प्रावधानित अधिकतम दण्ड संवेदक को दिया जाय। निबंधन नियमावली में संवेदक के निबंधन को दस वर्षो के लिये कालीकृत किये जाने का दण्ड संवेदक के द्वारा निविदा में गलत कागजात समर्पित करने, संवेदक के द्वारा कार्य को बीच में छोड़ने पर एकरारनामा को खंडित होने या अन्य गंभीर कदाचार के लिये प्रावधानित है। इतने छोटे कदाचार के लिये मूल निबंधन नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संवेदक के निबंधन को दस वर्षो के लिये कालीकृत किये जाने का आदेश बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है एवं संवेदक द्वारा स्वीकार किये गये भूल के अनुपात में बहुत ज्यादा है।

अतः संवेदक M/S Fortune Group, Director's Name- Tapas Kumar Pathy, Plot No-M62, Samanta Vihar, Chandrashekharpur, Bhubaneshwar, Khordha, Odisha-751017 मोबाईल नं०–7381271000 (निबंधन संख्या 1250044 दिनांक–29.07.2025, PAN no. AACFF2988G) को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) के ज्ञापांक–6827 (ई०) दिनांक–07.10.2025 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क)(vii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 के उपकंडिका–4 के आलोक में दस वर्षो के लिए कालीकृत करने के आदेश को निरस्त किया जाता है।

ह०/–

सचिव

D:\Neha Sinha\2012 ka New Folder\Abhay Kumar\Blacklisting\MS Fortune Group.docx

ज्ञापांक— प्र०—7 / कार्य०—05—39 / 2025— /पटना, दिनांक................................

Speed Post
E-mail

प्रतिलिपि :— संवेदक M/S Fortune Group, Director's Name-Tapas Kumar Pathy, Plot No.-M62, Samanta Vihar, Chandrashekharpur, Bhubaneshwar, Khordha, Odisha-751017 मोबाईल नं0—7381271000 E-mail ID-tkp.fortune@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक— प्र०—7 / कार्य०—05—39 / 2025— /पटना, दिनांक................................

Speed Post
E-mail

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / आयुक्त एवं सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / ऊर्जा विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक— प्र०—7 / कार्य०—05—39 / 2025— /पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :— सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक— प्र०—7 / कार्य०—05—39 / 2025— 7645 (E) /पटना, दिनांक 14/11/2025

प्रतिलिपि :— अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/XI/25

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

D:\Neha Sinha\2012 ka New Folder\Abhay Kumar\Blacklisting\MS Fortune Group.docx